8/2017

जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास, जनपद रूद्रप्रयाग।

मैं, डॉ0 अमित गौरव पुत्र श्री हर्षपति, उपनिदेशक/भूवैज्ञानिक, जनपद रूद्रप्रयाग बतौर सदस्य सचिव, औद्योगिक विकास अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून की अधिसूचना संख्या 1621/VII–1/2017/8 ख/16, दिनांक 17 नवम्बर, 2017, के क्रम मे जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास, जनपद रूद्रप्रयाग की स्थापना करता हूँ। न्यास की शासी परिषद् एवं प्रबन्ध समिति तथा न्यास के उद्देश्य, निग्न नियम एवं विनियमन उक्त अधिसूचना के क्रम मे निम्नवत होंगे :–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इसका नाम जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास, जनपद रूद्रप्रयाग होगा।

(2) यह दिनांक 12 जनवरी, 2015 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

(3) यह जनपद रूद्रप्रयाग मे सभी प्रकार के खनिजों पर लागू होगी।

परिभाषाएँ

2. जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली मे,

(क) अधिनियम से समय–समय पर यथा संशोधित खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 अभिप्रेत है।

(ख) प्रभावित क्षेत्र से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जहाँ खनन संक्रिया की जा रही है या जारी हो।

(ग) प्रभावित व्यक्ति से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे खनन से संबंधित क्रियाकलापों द्वारा व्यक्तिगत रूप से क्षति होती है या जिसकी सम्पत्ति की क्षति होती है।

(घ) निधि से न्यास की निधि अभिप्रेत है।

(ङ) सरकार से उत्तराखण्ड सरकार से अभिप्रेत है।

(च) परिहार धारकों से अधिनियम अथवा उसके अन्तर्गत बनायी गयी नियमावली के उपबन्धों के अधीन स्वीकृत खनन पट्टा, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन अनुज्ञा पत्र के धारक से अभिप्रेत है।

(छ) खनिज और उपखनिज से ऐसे खनिज, अभिप्रेत है, जो अधिनियम की धारा 3 मे परिभाषित है।

(ज) न्यास से अधिसूचना सं0 1329/VII–1/2017/08 ख/16, दिनांक 11 अक्टूबर, 2017 द्वारा परिभाषित जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास अभिप्रेत है।

(झ) न्यास विलेख से राज्य सरकार द्वारा न्यासियों के पक्ष मे निष्पादित विलेख अभिप्रेत है।

(ञ) न्यास/न्यासीगण से न्यास को शासित करने के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा नियुक्त/व्यक्ति अभिप्रेत है।

क्रमशः (2)

न्याय के उद्देश्य	3	न्यास के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :—

1. खनन संक्रियाओं या अन्य सम्बन्धित क्रियाकलापों एवं खनिज परिवहन से प्रभावित व्यक्तियों एवं क्षेत्रों के हित तथा उनकी सुविधा के लिए कार्य करना।
2. प्रभावित व्यक्ति एवं क्षेत्रों की प्रसुविधा के लिए जिला खनिज फाउन्डेशन मे संग्रहीत निधियों का उपयोग करना और
3. ग्राम सड़क, जलीय स्थान एवं अन्य सामान्य सुविधाओं को विकसित करने हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत के परामर्श पर निधि का उपयोग करना।

न्यास का गठन एवं प्रबन्ध	4	न्यास का गठन एवं प्रबन्ध नियमानुसार होगा :—

1. न्यास मे एक शासी परिषद एवं एक प्रबन्ध समिति होगी
2. न्यास का प्रबन्ध करने का प्राधिकार शासी परिषद मे निहित होगा
3. शासी परिषद मे निम्नलिखित होंगे :—

(क)	संबंधित जनपद के मा0 प्रभारी मंत्री	अध्यक्ष
(ख)	संबंधित मा0 सदस्यगण विधान सभा	सदस्य
(ग)	जिलाधिकारी / कलेक्टर	सदस्य
(घ)	जिलाधिकारी द्वारा नामित जनपद के दो गणमान्य व्यक्ति	सदस्य
(ङ)	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
(च)	मुख्य चिकित्साधिकारी	सदस्य
(छ)	सिंचाई विभाग का प्रतिनिधि (जो अधिशासी अभियन्ता से निम्न स्तर का न हो)	सदस्य
(ज)	लघु सिंचाई विभाग का प्रतिनिधि (जो अधिशासी अभियन्ता से निम्न स्तर का न हो)	सदस्य
(झ)	पेयजल विभाग का प्रतिनिधि (जो अधिशासी अभियन्ता से निम्न स्तर का न हो)	सदस्य
(ञ)	लोक निर्माण विभाग का प्रतिनिधि (जो अधिशासी अभियन्ता से निम्न स्तर का न हो)	सदस्य
(ट)	जिला शिक्षा अधिकारी	सदस्य
(ठ)	जिला पंचायत अधिकारी	सदस्य
(ड)	उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव द्वारा जनपद हेतु नामित अधिकारी	सदस्य
(ण)	अधिशासी अभियन्ता (विद्युत वितरण विभाग) जनपद स्तरीय अधिकारी	सदस्य

क्रमशः (3)

वही संख्या 4 रजिस्ट्रीकरण संख्या 8 वर्ष 2017

Trust (Movable)

Trust (Movable)

रजिस्ट्रेशन शुल्क	प्रतिलिपि शुल्क	इलेक्ट्रानिक प्रोसेसिंग शुल्क	कुल योग	शब्द लगभग
रु0 100.00	रु0 20.00	रु0 300.00	रु0 420.00	2,000

C/Oडॉ अमित गौरव जियोलॉजिस्ट माइनिंग रुद्रप्रयाग , गवर्नर उत्तराखंड निवासी कार्यालय जियोलॉजी एवं माइनिंग चमोली ने आज दिनांक 23 Nov 2017 समय मध्य 11AM व 12PM को कार्यालय उपनिबन्धक रुद्रप्रयाग मे प्रस्तुत किया।

डॉ अमित गौरव जियोलॉजिस्ट माइनिंग
रुद्रप्रयाग

उपनिबन्धक
रुद्रप्रयाग
23-Nov-2017

इस लेख पत्र का निष्पादन विलेख मे लिखित तथ्यों को सुन व समझकर C/Oडॉ अमित गौरव जियोलॉजिस्ट माइनिंग रुद्रप्रयाग , गवर्नर उत्तराखंड निवासी कार्यालय जियोलॉजी एवं माइनिंग चमोली \ ने प्रलेखानुसार निष्पादन स्वीकार किया। इस लेखपत्र का निष्पादन प्रलेखानुसार श्री श्री पुत्र श्री श्री निवासी क्ष \ ने भी स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री शिव लाल आर्य पुत्र श्री कमल लाल निवासी कोर्ल कौशलपुर, तहसील बसुकेदार जिला रुद्रप्रयाग तथा श्री मनोज कुमार पुत्र श्री शिव प्रसाद निवासी बेला वार्ड न० ३, नगर पालिका परिषद् रुद्रप्रयाग ने की।

उपनिबन्धक
रुद्रप्रयाग
23-Nov-2017

(त)	खनन गतिविधि प्रभावित ग्राम के ग्राम प्रधान	सदस्य
(थ)	ज्येष्ठ खान अधिकारी / खनन अधिकारी	सदस्य सचिव

नोट :— सम्बन्धित जनपद के मा० प्रभारी मंत्री यदि अपरिहार्य कारणों से परिषद की बैठक मे उपस्थित नही होते हैं, तो परिषद के सदस्यों मे से किसी एक को बैठक की अध्यक्षता हेतु मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा नामित किया जायेगा।

4. गैर सरकारी सदस्य का कार्यकाल 03 वर्ष होगा।
5. कोई सरकारी सदस्य तब पद धारण करने से प्रविरत हो जायेगा, जब वह सरकारी पद धारण करने से प्रविरत हो जाय।
6. न्यास की दिन प्रतिदिन की कार्य प्रणाली समिति मे निहित होगी।

(क) प्रबन्ध समिति मे निम्नलिखित होंगे :—

एक	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
दो	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
तीन	खनन गतिविधि प्रभावित ग्राम के ग्राम प्रधान	सदस्य
चार	मुख्य चिकित्साधिकारी	सदस्य
पॉच	सिंचाई विभाग का प्रतिनिधि (जो अधिशासी अभियन्ता से निम्न स्तर का न	सदस्य
छः	लघु सिंचाई विभाग का प्रतिनिधि (जो अधिशासी अभियन्ता से निम्न स्तर का न हो)	सदस्य
सात	पेयजल विभाग का प्रतिनिधि (जो अधिशासी अभियन्ता से निम्न स्तर का न हो)	सदस्य
आठ	लोक निर्माण विभाग का प्रतिनिधि (जो अधिशासी अभियन्ता से निम्न स्तर का न हो)	सदस्य
नौ	जिला शिक्षा अधिकारी	सदस्य
दस	जिला पंचायत अधिकारी	सदस्य
ग्यारह	उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव	सदस्य
बारह	अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण विभाग, जनपद स्तरीय अधिकारी	सदस्य
तेरह	ज्येष्ठ खान अधिकारी / खनन अधिकारी	सदस्य सचिव

ख. प्रबन्ध समिति को कोई सरकारी सदस्य, सदस्य का पद धारण करने से प्रविरत हो जायेगा, जब वह सरकारी पद धारण करने मे प्रविरत हो जाय।

न्याय के कृत्य 5. (1) नियम 4 मे यथा उल्लिखित 50 प्रतिशत से अधिक सदस्यों की उपस्थिति मे शासी परिषद की बैठकें सम्बन्धित जनपद के मा० प्रभारी मंत्री जी की अध्यक्षता मे की जायेगी। मा० प्रभारी मंत्री यदि अपरिहार्य कारणों से परिषद की बैठक मे उपस्थित नही होते हैं, तो परिषद के सदस्यों मे से किसी एक को

क्रमशः(4)

बही संख्या 4 रजिस्ट्रीकरण संख्या 8 वर्ष 2017

डॉ अमित गौरव
जियोलॉजिस्ट माइनिंग
रुद्रप्रयाग

शिव लाल आर्य

मनोज कुमार

प्रतिज्ञ एवं साक्षीगण भद्र प्रतीत होते हैं। सभी के अंगुष्ठ चिन्ह नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
उप-निबंधक, रुद्रप्रयाग
23 Nov 2017

बैठक की अध्यक्षता हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा नामित किया जायेगा। प्रबन्ध समिति की बैठकें जिलाधिकारी की अध्यक्षता मे समय–समय पर, जैसा परिषद ठीक समझे, आयोजित की जायेगी।

(2) खनन संक्रियाओं से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों की प्रसुविधा के लिए प्रस्ताव सम्बन्धित विभाग के परामर्श से सम्बन्धित ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी द्वारा तैयार कर प्रस्तुत किये जायेंगे।

(3) प्रस्ताव निम्नलिखित प्रकृति का होगा :–

क. क्षेत्र की आधारभूत अवसंरचना उदाहरणार्थ पहुँच मार्ग का निर्माण एवं अनुरक्षण, विद्युत, स्वच्छता, पेयजल सुविधा, हैण्डपम्प तथा न्यास द्वारा अनुमोदित अन्य जन उपयोगी कार्य।

ख. खनन संक्रियाओं से प्रभावित क्षेत्र मे तथा उसके चारों ओर सामान्य वृक्षारोपण।

ग. खनिज विकास के हित मे न्यास द्वारा अनुमोदित अन्य क्रिया–कलाप।

4. न्यास की बैठक मे ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का परीक्षण किया जायेगा। न्यास उक्त प्रस्ताव को अनुमोदित, उपान्तरित या अस्वीकृत की सकता है।

5. अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातीय क्षेत्रों मे न्यास द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव को लागू करने से पूर्व ग्राम पंचायत की संस्तुति प्राप्त करनी होगी।

शासी परिषद की शक्तियाँ एवं कृत्य

6. शासी परिषद निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगी :–

1. न्यास की कार्यप्रणाली के लिए नीतिगत रूप रेखा तैयार करना और समय–समय पर उसकी कार्य पद्वति की समीक्षा करना।

2. न्यास की वार्षिक कार्य योजना और वार्षिक बजट तैयार किया जाना और उसे अनुमोदित किया जाना।

शासी परिषद द्वारा वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने के कम से कम, एक माह पूर्व वार्षिक कार्य योजना तैयार कर अनुमोदित की जायेगी। वार्षिक कार्य योजना मे तत्सम्बन्धी प्रायोगिक उपबन्धों सहित योजनाओं और परियोजनाओं की सूची अन्तर्विष्ट होगी।

परन्तु यह कि यदि किसी भी कारण से शासी परिषद वार्षिक कार्य योजना और बजट विनिर्दिष्ट समय के भीतर तैयार कर अनुमोदित नही करती है तो अध्यक्ष को न्यास की वार्षिक कार्य योजना तथा बजट तैयार करने और तद्निमित्त कारण अभिलिखित करते हुए उसे अनुमोदित करने की शक्ति होगी। इस प्रकार तैयार किया गया बजट शासी परिषद द्वारा सम्यक रूप से तैयार एवं अनुमोदित किया गया समझा जायेगा।

परन्तु यह औरी भी कि आगामी वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक

क्रमशः (5)

योजना तैयार करते समय पूर्व प्रतिबद्धता और उससे उत्पन्न होने वाली देनदारियों के कुल योग का निर्धारण किया जायेगा। वित्तीय अनुशासन बनाये रखने एवं परियोजना को समय से पूरा करने के लिए पूर्व देनदारियों और प्रतिबद्धताओं और प्रस्तावित की जा रही नई योजनाओं का कुल योग, किसी भी दशा मे अगले वित्तीय वर्ष के लिए न्यास मे पायी गयी प्रत्याशित अन्तर्प्रवाहों के तीन गुना से अधिक नही होगा।

3. उपलब्ध न्यास निधि से न्यास के उद्देश्यों को अग्रसारित करने मे ऐसे अन्य व्यय का अनुमोदन करना जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय।

4. प्रबन्ध समिति की संस्तुतियों को अनुमोदित करना।

5. पूर्ववर्ती वर्ष के समाप्त होने के 60 दिनो के भीतर न्यास के वार्षिक रिपोर्टों और सम्परिक्षित लेखाओं का अनुमोदन करना।

शासी परिषद की बैठक 7.

1. शासी परिषद प्रायः यथा आवश्यक बैठक करेगी, किन्तु प्रत्येक त्रैमास मे कम से कम एक बार बैठक अनिवार्य होगा।

2. शासी परिषद की बैठक का संचालन अध्यक्ष द्वारा यथानिर्दिष्ट रूप मे की जायेगी।

3. ऐसी बैठक के लिए गणपूर्ति शासी परिषद के कुल सदस्यों के एक तिहाई उपस्थिति से होगी।

प्रबन्ध परिषद की बैठक 8. किसी वित्तीय वर्ष मे प्रबन्ध समिति की कम से कम छः बार बैठक होगी तथ इसका संचालन उसी रूप मे किया जायेगा, जैसा कि प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जाय।

प्रबन्ध समिति की शक्तियॉ और कृत्य 9. प्रबन्ध समिति :-

1. न्यास के हितों की रक्षा हेतु अपने कर्त्तव्यों के निष्पादन करने मे सम्यक् रूप से तत्परतापूर्वक कार्य करेगी।

2. अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबन्धों तथा केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार सम्बन्धित खनन पट्टाधारकों से सामयिक अंशदान निधि संग्रह सुनिश्चित करेगी।

3. न्यास के क्रियाकलापों के लिए महा योजना दृष्टि अभिलेख तैयार करेगी।

4. प्रस्तावित योजनाओं और परियोजनाओं सहित न्यास की वार्षिक योजना और वार्षिक बजट की तैयारी मे सहायता करेगी।

5. वार्षिक योजना और अनुमोदित योजनाओं तथा परियोजनाओं का पर्यवेक्षण करेगी और उनका निष्पादन सुनिश्चित करेगी।

6. परियोजनाओ को अनुमोदित करेगी तथा उक्त प्रयोगार्थ न्यास निधि आहरण-वितरण करेगी।

7. न्यास निधि संचालित करेगी और उसमें तत्परतापूर्वक विनिधान करेगी तथा न्यास के नाम से खाता खोलेगी और क्रमशः

ऐसे खातों तथा विनिधानों को संचालित करेगी।

8. न्यास निधि की प्रगति और उसकी उपयोगिता का अनुश्रवण करेगी।

9. वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 60 दिन के भीतर शासी परिषद के समक्ष उसके अनुमोदन हेतु वार्षिक प्रतिवेदन सहित सम्परीक्षित लेखा प्रस्तुत करेगी।

10 ऐसे अन्य कार्य करेगी, जो न्यास के सुगम कार्य संचालन तथा प्रबन्ध के लिए आवश्यक हो।

11. न्यास की कार्य प्रणाली के लिए प्रक्रियाओं को विनियमित करेगी।

न्यास निधि हेतु अंशदान 10

1. मुख्य खनिजों के मामले मे :-

क. खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2015 के प्रारम्भ होने के दिनांक से पूर्व स्वीकृत खनन पट्टाधारक को स्वामित्व धनराशि के अतिरिक्त जिला, जिसमें खनन संक्रियायें जारी हो, के न्यास के द्वितीय अनुसूची के निबन्धनों मे संदत्त स्वामित्व धनराशि से अनाधिक धनराशि का भुगतान ऐसी रीति से और खनन पट्टा श्रेणीकरण तथा विभिन्न श्रेणी के पट्टाधारकों द्वारा संदेय धनराशि, जैसा कि केन्द्र सरकार द्वारा विहित किया जाय, के अध्यधीन करना होगा।

ख. खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2015 के प्रारम्भ होने के दिनांक को या उसके पश्चात् स्वीकृत किसी खनन पट्टा या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति सह खनन पट्टाधारक को किसी स्वामित्व की धनराशि के अतिरिक्त जिला जिसमें खनन संक्रियायें जारी हों, के न्यास को ऐसे प्रतिशत, जो केन्द्र सरकार द्वारा द्वितीय अनुसूची के निर्बधनों मे संदत्त स्वामित्व धनराशि के विहित ऐसे प्रतिशत के एक तिहाई स्वामित्व धनराशि से अधिक न हो, के बराबर धनराशि का भुगतान करना होगा।

2. गौण खनिजों के मामले मे :-

1. समस्त उपखनिज पट्टधारक रॉयल्टी का 25 प्रतिशत रॉयल्टी के अतिरिक्त जमा करेंगे।

2. ईट भट्टा समाधान रॉयल्टी 15 प्रतिशत अथवा साधारण मिट्टी पर 10 प्रतिशत रॉयल्टी के अतिरिक्त जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास मे जमा की जायेगी।

3. सरकारी निर्माण कार्य मे उपयोग की जाने वाली मिट्टी पर भुगतान की जाने वाली रॉयल्टी की धनराशि का 10 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से।

4. उपखनिजों (बालू, बजरी, बोल्डर, सोपस्टोन, सिलिकासैण्ड आदि) के पट्टाधारक/अनुज्ञाधारक के द्वारा निकासी किये गये उपखनिज पर भुगतान की जाने वाली रॉयल्टी की धनराशि का 25 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से।

5. सरकारी निर्माण कार्य मे उपयोग की जाने वाली बालू, बजरी

क्रमशः(7)

पर जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास पर सीधे जमा किये जाने पर रॉयल्टी का 25 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से।

6. जल विद्युत परियोजना मे उपखनिज उपयोग किये जाने पर उपखनिज पर भुगतान की जाने वाली रॉयल्टी की धनराशि का 25 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से।

7. नहर/जलाशय सफाई/खुदान से प्राप्त उपखनिज पर भुगतान की जाने वाली धनराशि की रॉयल्टी का 25 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से।

8. खर्चे एवं अन्य प्राप्तियॉ एवं व्याज से प्राप्त धनराशि या अन्य प्रकरण से प्राप्त धनराशि।

9. न्यास की अन्य द्वारा प्राप्त आय या अन्य प्रकार से प्राप्त आय।

सम्बन्धित ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी न्यास निधि हेतु संग्रह करने के लिए उत्तरदायी होगा और उसे न्यास द्वारा यथा विनिश्चित किये गये किसी अनुसूचित बैंक मे खोले गये न्यास के खाते मे उक्त धनराशि को जमा करना होगा।

न्यास की निधि से व्यय 11 न्यास निधि मे उपलब्ध निधियों का उपयोग निम्नलिखित समस्त या किसी प्रयोजन के लिए किया जा सकेगा :-

1. अनुमोदित प्रस्ताव पर व्यय
2. न्यास के प्रशासनिक व्यय पर 05 प्रतिशत

न्यास के लेखा की सम्परीक्षा 12 जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास द्वारा अधिकृत चार्टड एकाउन्टेंट द्वारा जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास की लेखा परीक्षा प्रत्येक वर्ष वित्तीय की समाप्ति पर की जानी चाहिए। जैसा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर सूचित किया जाय। न्यास का अपने स्तर से ऑडिट कराने के साथ ही राज्य सरकार का ऑडिट कराना भी अनिवार्य होगा। प्रत्येक वार्षिक रिपोर्ट जन सामान्य के अवलोकन हेतु उपलब्ध होनी आवश्यक है।

न्यास का प्रबन्धन 13. न्यास का प्रबन्धन शासी परिषद मे निहित होगा, जिसमें न्यास के समस्त होंगे तथापि न्यास के दिन प्रतिदिन का प्रबन्ध, नियम 4 के उपनियम (6) मे यथा परिभाषित प्रबन्ध समिति द्वारा किया जायेगा। तथापि राज्य सरकार किसी भी समय प्रबन्ध समिति के गठन मे परिवर्तन करने का विनिश्चिय कर सकती है।

न्यासियों के विनिश्चय 14. 1. शासी परिषद की बैठक मे समस्त विनिश्चय न्यासी द्वारा किये जायेंगे और शासी परिषद की प्रत्येक बैठक न्यास की बैठक समझी जायेगी।

2. शासी परिषद के समस्त विनिश्चय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किये जायेंगे। समान मतों की दशा मे बैठक के अध्यक्ष का मतदान निर्णायक होगा।

3. जब तक राज्य सरकार द्वारा सहमति प्रदान न कर दी जाय तब तक न्यासीकरण को न्यास के विलेख के किसी भाग मे संशोधन का अधिकार नही होगा।

4. न्यासीगण, शासी परिषद और प्रबन्ध समिति को राज्य सरकार

क्रमशः (8)

द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों और मार्ग दर्शनों आदि के अनुसार कार्य करना होगा।

न्यास निधि का संचालन	15.	न्यास निधि, न्यास के नाम से केवल किसी अनुसूचित वाणिज्यिक राष्ट्रीयकृत बैंक मे रखी जायेगी। बैंक खाता राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से खोला जायेगा और उसके खाते का संचालन सदस्य सचिव, सचिव और प्रबन्ध समिति द्वारा प्राधिकृत प्रबन्ध समिति के सदस्य के संयुक्त हस्ताखरों से किया जायेगा। न्यास इस निधि की लेखा पुस्तिका अनुरक्षित करेगा।
न्यास की परिधि	16.	प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना और केन्द्र एवं राज्य सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन न्यास के लिए प्रोद्भूत होने वाली निधियों का प्रयोग करते सम्बन्धित जिलों के न्यास द्वारा किया जायेगा। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना तथा राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं का समग्र लक्ष्य निम्नानुसार है :–
	क.	खनन प्रभावित क्षेत्रों मे विभिन्न विकास सम्बन्धी और कल्याणकारी परियोजनाओं/कार्यक्रम क्रियान्वित करना, परियोजनाओं और ऐसी परियोजना/कार्यक्रम राज्य और केन्द्र सरकार की विद्यमान मे जारी योजनाओं/परियोजनाओं के लिए क्रियान्वित किये जायेंगे।
	ख.	खनन वाले जिलों मे लोगों के पर्यावरण, स्वास्थ्य और सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर खनन के दौरान और इसके पश्चात् पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को न्यून करना/उसमें कमी लाना और
	ग.	खनन क्षेत्रों मे प्रभावित लोगों के लिए दीर्घकालिक सम्पोषणीय जीविका सुनिश्चित करना।
अनुसूचित क्षेत्रों हेतु विशेष प्रावधान	17. 1	प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र हेतु धनराशि भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 सहपठित अनुसूचि V एवं अनुसूची VI के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति लोगों के प्रबन्धन हेतु पंचायती राज (अनुसूचित क्षेत्र हेतु विस्तार) अधिनियम, 1996 एवं अनुसूचित जनजाति एव अन्य परम्परागत अधिशासी (वन अधिकार हेतु चिन्हींकरण) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किया जाय। अनुसूचित क्षेत्रान्तर्गत खनन गतिविधि से प्रभावित गांव हेतु :– ग्राम सभा का अनुमोदन निम्न हेतु आवश्यक है :–
	क.	प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अन्तर्गत समस्त योजनाएँ, परियोजना एवं कार्यक्रम हेतु।
	ख.	राज्य सरकार द्वारा वर्तमान जारी दिशा–निर्देश के अनुसार लाभार्थी का चिन्हींकरण।
	2.	प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अन्तर्गत किये गये कार्यों की प्रत्येक ग्रामवार प्रगति ग्राम सभा को भेजी जानी है। (ग्राम सभा का वही अर्थ होगा जैसा कि पंचायती राज)

क्रमशः (9)

(अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार) अधिनियम, 1956 (अधिनियम 40 ऑफ 1996) मे है।

न्यास निधि के व्यय 18. न्यास मे उपलब्ध निधियों का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जायेगा :–

1. उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र–न्यूनतम 60 प्रतिशत निधि का प्रयोग निम्नलिखित मदों मे किया जायेगा :–

क. **पेयजल आपूर्ति** :–केन्द्रीयकृत निर्मलीकरण प्रणाली, जल उपचार संयत्र, स्थायी/अस्थायी जल वितरण नेटवर्क, जिसमें पेयजल की आपूर्ति हेतु जल पाईप बिछाने की अच्छी सुविधा सम्मिलित है।

ख. **पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के उपाय** :– बहिस्रोत उपचार संयत्र क्षेत्र मे झरना, झील, तालाब, भूगर्भ जल और अन्य जलस्रोत प्रदूषण निवारण, खनन संक्रियाओं और भण्डारणों, खान जल निकास प्रणाली, खनन, खान प्रदूषण निवारण तकनीकों के कारण हुए वायु एवं धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय और कार्यशील या निषिद्व खानों के लिए उपाय तथा पर्यावरणीय सौहार्द एवं सम्पोषणीय खान विकास हेतु अपेक्षित अन्य वायु, जल तथा भू–सतह प्रदूषण नियंत्रण के अन्य तौर–तरीके।

ग. **स्वास्थ्य देखभाल** :– प्रभावित क्षेत्रों मे प्राथमिक/द्वितीयक/तृतीयक देखभाल सुविधाओं के सृजन पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना के सृजन पर ही केवल बल नही दिया जाना चाहिए बल्कि ऐसी प्रभावी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अपेक्षित आवश्यक कर्मचारी, उपकरण और आपूर्तियों के उपबन्ध पर भी बल दिया जाना चाहिए। उस सीमा तक स्थानीय निकायों, राज्यों और केन्द्र सरकार के विद्यमान स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना के अनुरूप अनुपूरक प्रयास और कार्य किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान मे उपलब्ध विशेषज्ञ को भी खनन से सम्बन्धित बीमारी और रोगों की देखभाल करने के लिए आवश्यक विशेष अवसंरचना को अभिकल्पित करने के लिए ध्यानाकर्षित किया जा सकता है। सामूहिक स्वास्थ्य देखभाल बीमा योजना, खनन से प्रभावित व्यक्तियों के लिए क्रियान्वित की जा सकती है।

घ. **शिक्षा** :– विद्यालय भवनों, अतिरिक्त शिक्षण कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, कला और हस्तकला कक्ष, सामूहिक शौचालय का निर्माण, पेयजल उपबन्ध, सुदूरवर्ती क्षेत्रों मे छात्रों/अध्यापकों के लिये आवासीय छात्रावास, खेल अवसंरचना, व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधा, अध्यापकों एवं अन्य सहायक कर्मचारियों को कार्य मे लगाया जाना, इंटरनेट के माध्यम से शिक्षण व्यवस्था, परिवहन सुविधाओं (बस/वैन/साईकिल/रिक्शा आदि) और पौष्टिकता से सम्बन्धित कार्यक्रमों की व्यवस्था किया जाना।

ङ **महिला एवं बाल कल्याण** :– मातृ एवं बाल स्वास्थ्य, कुपोषण,

किशोरावस्था तथा संक्रामक रोगों से सम्बन्धित समस्याओं का पता लगाने हेतु विशेष कार्यक्रम न्यास के अधीन किये जायेंगे।

च. **वयोवृद्व एवं निःशक्त लोगों का कल्याण** :– वयोवृद्व एवं निःशक्त लोगों के कल्याण हेतु विशिष्ट कार्यक्रम।

छ. **कौशल विकास** :– जीविका अवलम्ब एवं आय सृजन हेतु कौशल विकास और स्थानीय पात्र व्यक्तियों के लिए आर्थिक गतिविधियों/परियोजनाओं/योजनाओं मे प्रशिक्षण व्यावसायिक/कौशल विकास केन्द्र का विकास स्वरोजगार योजनाएँ, स्वयं सहायता समूह अवलम्ब और ऐसे स्वरोजगार सम्बन्धी आर्थिक क्रियाकलापों हेतु अगड़े और पिछड़े लोगों के प्रति जुड़ाव का उपबन्ध सम्मिलित है।

ज. **स्वच्छता** :– अपशिष्ट का संग्रहण, परिवहन और निस्तारण, सार्वजनिक स्थलों की सफाई, जल निकास और मल उपचार संयत्र का उपबन्ध, कीचड़ निस्तारण उपबन्ध और प्रसाधन तथा अन्य सम्बन्धित क्रियाकलापों से सम्बन्धित उपबन्ध।

2. **अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्र** :– 40 प्रतिशत तक की निधि का उपयोग निम्नलिखित मदों मे किया जायेगा :–

क. **भौतिक अवसंरचना** :– अपेक्षित भौतिक अवसंरचना सड़क, पुल, रेलमार्ग तथा जलमार्ग सम्बन्धी परियोजनाओं का उपबन्ध और अनुरक्षण।

ख. **सिंचाई** :– सिंचाई के वैकल्पिक स्रोत को विकसित करना और उपयुक्त तथा विकसित सिंचाई तकनीकों को अंगीकृत करना।

ग. **ऊर्जा एवं जलविभाजक विकास** :– ऊर्जा एवं वर्षा जल संचायन प्रणाली के वैकल्पिक स्रोत का विकास, फलोधानों, एकीकृत कृषि और आर्थिक एवं जलागम पुनर्स्थापन का विकास।

घ खनन वाले जिला मे पर्यावरणीय गुणवत्ता मे वृद्वि करने हेतु कोई अन्य उपाय :–

एक. फाउण्डेशन के न्यासियों द्वारा उक्त प्रयोजन हेतु तैयारी की गई वार्षिक कार्य योजना के अनुसार जिले मे खनन संक्रियाओं से प्रभावित क्षेत्र का समग्र विकास।

दो. सामाजिक और आर्थिक प्रयोजनों के लिए स्थानीय अवसंरचना का सृजन।

तीन. खनन संक्रियाओं से प्रभावित क्षेत्र मे स्थानीय जनसंख्या के लिये सामुदायिक आस्तियों और सेवाओं की व्यवस्था करना, अनुरक्षण करना और उनका उच्चीकरण करना।

चार. रोजगार एवं स्वरोजगार क्षमताओं के सृजन हेतु कौशल विकास तथा क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना तथा संचालित करना।

परन्तु यह कि वर्ष मे न्यास द्वारा प्राप्त कुल निधियों की 05 प्रतिशत से अनाधिक धनराशि न्यास द्वारा अपने प्रशासनिक या अधिष्ठान सम्बन्धी व्ययों की पूर्ति के लिए व्यय की जा सकेगी।

क्रमशः (11)

परन्तु यह और भी कि न्यास की निधि या उसके किसी भाग का प्रयोग, किसी लाभग्राही के किसी ऋण के अग्रिम के लिए या उसे नकद अनुदान प्रदान करने के लिए नही किया जायेगा।

लेखा और संपरीक्षा

19\. 1. एक प्रबन्ध समिति न्यास के मामलों का सत्य और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करने के लिए न्यास निधि के सम्बन्ध मे समुचित लेखा पुस्तिका, दस्तावेज और अन्य अभिलेख अनुरक्षित करेगी या अनुरक्षित करायेगी।

दो न्यास के लेखा की संपरीक्षा कम से कम एक वर्ष पूरा होने पर किसी अर्ह संपरीक्षक द्वारा की जायेगी।

तीन न्यास के संपरीक्षकों की नियुक्ति, शासी परिषद् की बैठक मे राज्य के महालेखाकार द्वारा अधिसूचित अनुमोदित संपरीक्षक सूची से न्यासियों द्वारा ऐसी निबन्धन एवं शर्तों, जैसा कि न्यासियों द्वारा विनिश्चत किया जाय, पर की जायेगी।

चार संपरीक्षकों को न्यासियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकेगा।

2\. उपनियम (1) मे अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी राज्य सरकार संपरीक्षक या सम्परीक्षकों को नियुक्त कर सकती है अथवा महालेखाकार से किसी विशिष्ट वर्ष अथवा अवधि के लिए राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किये गये निबन्धनों और शर्तों पर लेखा परीक्षा हेतु अनुरोध कर सकेगी।

3\. न्यास, अनुमोदित बजट और अगले वित्तीय वर्ष के लिए योजनाओं और परियोजनाओं सहित वार्षिक योजना, जिला पंचायत, जिला प्रशासन और राज्य सरकार को उनके सम्बन्धित वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु अग्रसारित करेगा।

4\. न्यास, अनुमोदित योजनाओं और परियोजनाओं के सम्बन्ध मे त्रैमास की समाप्ति के 45 दिन के अन्तर्गत भौतिक एवं वित्तीय निबन्धनों मे एक त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तैयार करेगा और इसे तत्पश्चात् तत्काल सम्बन्धित वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु जिला पंचायत और जिला प्रशासन को अग्रसारित करेगा।

5\. न्यास, संपरीक्षा रिपोर्ट सहित अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना रिपोर्ट और अनुमोदित संपरीक्षा रिपोर्ट शासी परिषद् द्वारा अनुमोदित किये जाने के पश्चात् वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 60 दिन के भीतर जिला पंचायत, जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार को उनके सम्बन्धित वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु अग्रसारित करेगा।

न्यास को संदेय धनराशि का अनुश्रवण

20\. 1. प्रत्येक पट्टेदार को जिला खनिज फाउन्डेशन, न्यास हेतु संदेय धनराशि, उस अधिकारी को जिसे स्वामित्त धनराशि संदेय हो, सूचित करके ऐसे बैंक खाते मे जैसा कि फाउन्डेशन विनिर्दिष्ट करे, विप्रेषित करना होगा।

2\. प्रत्येक अधिकारी जो स्वामित्व धनराशि संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत हो, को प्रत्येक पट्टेदार द्वारा संदेय और संदत्त धनराशि की पंजी अनुरक्षित करनी होगी और तत्संबधी समेकित मासिक विवरण प्रत्येक माह की समाप्ति पर समिति

क्रमशः (12)

के सदस्य सचिव को उपलब्ध कराना होगा।

3. योजनाओं के मध्य अपेक्षाकृत अधिक समन्वयात्मक सहक्रिया सुनिश्चित करने हेतु जिला विकास समन्वय और अनुश्रवण समिति के अधीन गठित मंच, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की पहल है, उक्त समिति के मार्गदर्शनों के अनुसार जिला स्तर पर प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अधीन योजनओं का अनुश्रवण करेगा।

प्रशासनिक व्यवस्था 21. 1. राज्य सरकार न्यास के प्रबन्ध एवं वार्षिक योजना के निष्पादन हेतु उक्त प्रयोजनार्थ यथापेक्षित जिला पंचायत मे कार्यरत कर्मचारियों सहित अपने नियंत्रणाधीन कार्मिको की सेवायें प्रदान करेगी।

2. न्यास स्वयं को प्रशासनिक और प्राविधिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार के सरकारी विभागों से अपेक्षित संख्या मे प्रमुख कार्मिकों या जिला परिषद् या ऐसे अन्य संवर्ग के नियमित कर्मचारी उपलब्ध कराने के लिये अनुरोध कर सकता है। ऐसे कार्मिकों की सेवायें उनके अपने–अपने संवर्गो मे बनी रहेगी। न्यास इस प्रयोजन हेतु अर्जित निधियों का 03 प्रतिशत तक व्यय वहन कर सकेगा।

3. न्यास, सेवा प्रदाताओं से ऐसी सेवा प्रदान करने हेतु कह सकता है, जैसा कि न्यास के सुगम कार्य संचालन हेतु आवश्यक हो और अपने कार्य संचालन हेतु उपगत होने वाले आकस्मिक व्यय का उपबन्ध कर सकेगा।

4. जिला खनिज न्यास संस्थान की प्रशासनिक, सुपरवाइजरी एवं ओवरहैड व्यय आदि पर जो भी व्यय होगा, वो न्यास की वार्षिक अंशदान निधि के 05 प्रतिशत से अधिक नही होगा। जिला खनिज संस्थान न्यास के लिए कोई भी अतिरिक्त पद सृजित नही किये जायेंगे। यथा आवश्यकतानुसार पदों/वाहनों एवं अन्य सुविधाओं हेतु आउटसोर्स और अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति आदि की व्यवस्था अपनाई जायेगी। न्यास हेतु वाहन का क्रय यदि आवश्यक हो, तो प्रत्येक प्रकरण मे शासन (वित्त विभाग) की सहमति प्राप्त की जायेगी।

संशोधन 22. राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति के बिना किसी भी प्रकार का संशोधन जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास नियमावली, 2017 के अधीन गठित होने वाले न्यास मे नही किया जायेगा।

न्यासियों का दायित्व 23. 1. न्यासीगण सद्भावनापूर्वक और परिश्रम के साथ वास्तविक रूप मे की गयी किसी बात के लिये उत्तरदायी नही होंगे। न्यासीगण ऐसी किसी बैंकर, ब्रोकर, अभिरक्षक या किसी अन्य व्यक्ति के लिये भी दायी या उत्तरदायी नही होंगे, जिनके पास उक्त व्यय धनराशि जमा की जाय या रखी जाय, न तो न्यास निधि के किन्हीं विनिधानों मे होने वाली कमी या अपर्याप्तता के लिये और ना हि अन्यथा किसी अनैच्छिक क्षति के लिये दायी या उत्तरदायी होंगे। क्रमशः (13)

2. न्यासीगण और प्रत्येक न्यायवादी या न्यासीगण द्वारा नियुक्त अभिकर्ता न्यास के निष्पादन मे उपगत समस्त देनदारियों, क्षतियों और व्यय के सम्बन्ध मे न्यास निधि से क्षतिपूर्ति किये जाने के लिये या घोर अपेक्षा और/या जान बूझकर किये जाने वाले कदाचार से उद्भूत होने वाले विवेकों से भिन्न स्वयं मे निहित या प्रतिनिधानित किसी शक्ति, प्राधिकार या विवेकाधिकार के लिये उत्तरदायी होंगे, परन्तु यह कि ऐसी क्षतिपूर्ति किसी भी दशा मे कुल अंशदानों से अधिक नही होंगी।

पारिश्रमिक न्यास की मुहर

24. न्यासीगण अपनी सेवाओं के लिये किसी पारिश्रमिक के हकदार नही होंगे।

25. न्यासीगण शासी परिषद की बैठक मे, न्यास के प्रयोजन हेतु मुहर उपलब्ध कराने का विनिश्चय कर सकेंगे और उन्हें समय-समय पर यह शक्ति होगी कि वे उसे नष्ट कर दें और उसके बदले मे नयी मुहर रखें। न्यास की मुहर कार्यकारी समिति के अध्यक्ष की अभिरक्षा मे रहेगी और अध्यक्ष को न्यास के लिये और उसकी ओर से उसका उपयोग करने का प्राधिकार प्राप्त होगा।

प्रतिसंहरणीयता

26. यह न्यास राज्य सरकार के विवके पर प्रति संहरणीय होगा, उक्त न्यास उस समय तक अस्तित्व मे रहेगा, जैसा कि राज्य सरकार आदेश द्वारा विनिश्चत करे। न्यास समाप्त होने की दशा मे, न्यास की समस्त आस्तियॉं और देनदारियॉं राज्य सरकार मे स्वतः निहित/अन्तरित हो जायेगी।

क्रमशः (14)

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32–ए के अनुपालन हेतु फिंगर प्रिन्ट

प्रथम पक्ष का नाम एवं पता:–डॉ0 अमित गौरव पुत्र श्री हर्षपति उपनिदेशक/भूवैज्ञानिक, जनपद– रूद्रप्रयाग सदस्य सचिव, जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास, जनपद रूद्रप्रयाग। पहचान हेतु आधार सं0–3669 2833 4716।

अंगुष्ठ निशान दाहिने हाथ

अगुष्ठा	तर्जनी	मध्यगा	अनामिका	कनिष्ठा

अंगुष्ठ निशान बायें हाथ

ह0 प्रथम पक्ष ....

ह0 प्रथम गवाहन्.....अमरलाल रूदप्रयाग	ह0 द्वितीय गवाहन्.....भगवती रूदप्रयाग
आधार नं0–4729 1689 4278	पहचान पत्र सं0–XGC0103549
श्री– शिव लाल आर्य पुत्र	श्री.मनोज कुमार पुत्र श्री शिव कुमार
श्री –कमल लाल	निवासी ग्राम.येला –वार्ड न0– 03
निवासी ग्राम.क्यल–कौशलपुर	पो0–रूद्रप्रयाग तहसील –रूद्रप्रयाग
पो0–व तहसील –वसुकेदार	जनपद रूद्रप्रयाग, उत्तराखण्ड।
जनपद रूद्रप्रयाग, उत्तराखण्ड।	

(T-1)

Online Public Data Entry Summary

उत्तराखण्ड शासन

UKPDC2017110100398

DISTRICT NAME :रुद्रप्रयाग SRO :रुद्रप्रयाग

23-Nov-2017 10:28:42AM

Deed/Article Type	Trust (Movable)						
Sub-Deed/Sub-Article	Trust (Movable)						
Village/Location	-						
Area		0.0000					
Transaction Value :0.00		Market Value :0.00		Regn Fees	100.00	Stamp Duty :0.00	
Advance	:0.00	Lease Period	:0.00	Avg. Rent	:0.00	Construction Value :0.00	
Khasra		Khatoni		Khewat	:	House/Flat	
Land Value	0.00	Page	:26 / 30	Words	:2,000	Deed Writer /Advocate Name	:

व्यवसायिक निर्माण का विवरण

क्र.सं	निर्माण का प्रकार	रकबा

आवासीय निर्माण का विवरण

क्र.सं	निर्माण क्षेत्र	निर्माण का प्रकार	निर्माण वर्ष	ह्रास वर्ष	रकबा

निबंधन शुल्क का विवरण

क्र.सं	भुगतान की विधि	धनराशि	संदर्भ क्रमांक
1	Cash	100.00	challan

स्टाम्प शुल्क का विवरण

क्र.सं	भुगतान की विधि	धनराशि	संदर्भ क्रमांक	जारी दिनांक	स्टाम्प विक्रेता आईडी
1	Certificate By Treasury/Collector	0.00	0	23-Nov-2017	0

पक्षकारों का विवरण

पक्षकार का प्रकार	पक्षकार का विवरण	हस्ताक्षर	व्यवसाय	पैन नं	मोबाइल नं	पहचान पत्र संख्या
विक्रेता / प्रथम पक्ष	C/O श्री अमित मौर्य जिलाधिकारी मार्गरिता रुद्रप्रयाग ... निवासी ... जिलाधिकारी ...	[signature]	GOVT. JOB	FORM 60	0	ADHAAR : 3668 2833 4716
क्रेता / द्वितीय पक्ष	श्री ... पुत्र श्री ... निवासी ...		OTHERS	FORM 60		OTHERS xyz
गवाह	श्री शिव लाल आर्य पुत्र श्री ... लाल निवासी ... तहसील ... जिला रुद्रप्रयाग	[signature]	GOVT. JOB		0	ADHAAR : 4729 1689 4278
गवाह	श्री मनोज कुमार पुत्र श्री शिव प्रसाद निवासी ... वार्ड नं. 3, नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग	[signature]	GOVT. JOB		0	VOTER ID XGC0103549

https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?view=att&th=163f818eea7a0d1c&attid=0.17&disp=inline&realattid=f_jict3et416&safe=1&zw&sad...